

21/8/2022

पत्रावली पेश हुई। अनुवाद उपर। इस
उपपत्र से सम्बंधित मूल कांड में निर्णय
मुनाफा आदि कांड फैसल हो चुका है।
अतः अब इस उपपत्र में आगे कोई
कार्रवाई किया जाना अपेक्षित नहीं रह
ता है। अतः प्राथमिकता का उपपत्र खारिज
किया जाता है पत्रावली फैसल शुद्ध
होकर नमूने से फल होकर रफ्तार जारी
है।

(२)

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

